	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 22, सोमवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 14, 2019 *Asvina 22, Monday, Saka 1941–October 14, 2019*	

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशो, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 3 2019

जी.एस.आर.24 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा (..II.....संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 2 के खण्ड(क) के विद्यमान उप-खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii) कलक्टरी के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, निजी सहायक और अतिरिक्त निजी सचिव के संबंध में, संबंधित जिला कलक्टर।"

[सं. एफ.7(2)डीओपी/ए II/2006 पार्ट III]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

उप शासन सचिव ।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.-II)

NOTIFICATION

Jaipur, July 03 2019

G.S.R.24 .-In exercise of the powers conferred by the provison to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service Rules, 1999, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service (II…Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 2.- The existing item (ii) of clause (a) of rule 2 of the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service Rules, 1999, shall be substituted by the following namely:-

"(ii) in respect of Additional Administrative Officer, Personal Assistant and Additional Private Secretary of the Collectorates, the concerned District Collector."

[No. F. 7(2) DOP/A -II/2006 Part III]
BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR,
JAI SINGH,
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।